क्रम-संख्या–181

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 15 सितम्बर, 2022

भादप्रद 24, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग–12

संख्या 2049 /6-पु0-12–2022-रिट(186)डी-2020
लखनऊ, 15 सितम्बर, 2022

अधिसूचना

प0आ0–505

जनहित याचिका संख्या 16150 (PIL) of 2020 *Suo Moto* In Re: Right to decent and dignified last rites / cremation *Vs.* State of U.P. and others के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच, लखनऊ द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में कानून एवं शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत शवों के निस्तारण के विषय में उल्लेखनीय है कि गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी बना रहता है। मानव शरीर की गरिमा अक्षुण्ण बनाये रखने के मौलिक आशय के साथ-साथ लोक एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आपराधिक प्रकरणों एवं दुर्घटनाओं से सम्बद्ध मृत शरीर के ससम्मान व परम्परागत रीति रिवाज के साथ अन्त्येष्टि संस्कार किया जाना आवश्यक है । अतः इस सम्बन्ध में सामान्यतः निम्नलिखित मार्ग दर्शक सिद्धान्त प्रतिपादित किये जाते है:-

(1) मृतक का अन्त्येष्टि कार्यक्रम यथासंभव उसके पारिवारिक सदस्यों द्वारा ही किया जाए । यदि मृत्यु किसी दुर्घटना या पुलिस प्रकरण से सम्बन्धित है, जिसमें पोस्टमार्टम किया जाना अनिवार्य हो तो पोस्टमार्टम के बाद शव उसके परिवार के सदस्यों को **प्रारूप-01** के अनुसार संलग्न सहमति प्रपत्र की प्राप्ति के उपरान्त सौंप दिया जाए और शव प्राप्ति की स्वीकारोक्ति भी प्राप्त कर ली जाएगी ।

(2) यदि पोस्टमार्टम के बाद शव एम्बुलेंस / शव वाहन से भेजा जाना हो तो एम्बुलेंस में मृतक के परिवार के कम से कम दो सदस्यों को अवश्य बैठने दिया जाएगा :

परन्तु जहाँ मृतक का कोई परिजन न हो या उसे आहूत करने में इतना विलम्ब कारित होना अधिसम्भाव्य हो जो शव प्रबंधन नियमों को प्रतिकूलतः प्रभावित करता हो तो, इस आशय का लिखित उल्लेख करते हुए यथास्थिति पुलिस आयुक्त / जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, जैसा परिस्थितियों के अनुसार उन्हें युक्तियुक्त प्रतीत हो, समुचित दिशा-निर्देशों के साथ उक्त वाहन में न्यूनतम दो पुलिस/राजस्व विभाग के कर्मी शव के साथ बैठाये जाने सम्बन्धी आदेश पारित

किया जाएगा । तात्कालिकता के दृष्टिगत उक्त आदेश इलेक्ट्रानिक माध्यम यथा ई-मेल या व्हाट्सएप्प के माध्यम से संचारित किया जा सकेगा । यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि उक्त संचार (communication) न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए अपरिहार्यतः संरक्षित रखा जायेगा, तथा यदि उक्त एक वर्ष की अवधि के दौरान सम्बन्धित प्रकरण में किसी न्यायालय या किसी अन्य फोरम के समक्ष कोई कानूनी कार्यवाही प्रारम्भ हो जाय, तो उक्त संचार (communication) , प्रकरण के न्यायालय / फोरम द्वारा समुचित अंतिम विनिश्चय तक संरक्षित रखा जाएगा ।

(3) परिवार के सदस्यों से अपेक्षा की जाए कि वो शव की ससम्मान अन्त्येष्टि शव प्राप्ति के उपरान्त यथाशीघ्र कर दें। यदि किसी अपरिहार्य कारण से विलम्ब संभावित हो तो सम्बन्धित उपजिलाधिकारी/ तहसीलदार अथवा क्षेत्राधिकारी (पुलिस उपाधीक्षक) / थाना प्रभारी को सुविधाजनक रीति से यथा एस०एम०एस०, व्हाट्सप संदेश/ द्वारा सूचित/ संचारित करना अनिवार्य होगा । जिला प्रशासन से अपेक्षा की जाती है कि वो ऐसे अधिकारियों, जिन्हें विलम्ब की सूचना दी जानी है, के सम्पर्क स्रोत (दूरभाष नम्बर / मोबाईल नम्बर आदि) का विवरण विधिवत प्रकाशित व प्रसारित कराएंगे । उक्त उद्देश्य हेतु SOP में वर्णित प्राविधानों (Modalities) से विचलन की दशा में जिला प्रशासन व स्थानीय पुलिस (यथा समक्ष पुलिस कमिश्नर/जिलाधिकारी / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक) को सुविधाजनक रीति से इलेक्ट्रानिक माध्यम यथा ई-मेल या व्हाट्सएप्प के माध्यम से अनिवार्यतः सूचित/ संचारित किया जायेगा । यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि उक्त संचार (communication) न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए अपरिहार्यतः संरक्षित रखा जायेगा, तथा यदि उक्त एक वर्ष की अवधि के दौरान सम्बन्धित प्रकरण में किसी न्यायालय या किसी अन्य फोरम के समक्ष कोई कानूनी कार्यवाही प्रारम्भ हो जाय, तो उक्त संचार (communication) , प्रकरण के न्यायालय / फोरम द्वारा समुचित अंतिम विनिश्चय तक संरक्षित रखा जाएगा ।

(4) परिवार को शव सौंपते समय परिजनों से उक्त **प्रारूप-01** पर इस आशय की लिखित सहमति प्राप्त कर ली जाए कि वो शव को पोस्टमार्टम हाऊस से सीधे अपने घर ले जाएंगे तथा स्थापित रीति रिवाज के अनुसार संस्कारोपरांत सीधे अंत्येष्टि स्थल पर ले जाएंगे । वे बीच रास्ते में कहीं भी शव रखकर भीड़ एकत्रित करने, जाम लगाने अथवा किसी दल या संगठन के सहयोग से धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, जिससे किसी भी प्रकार लोक एवं शान्ति व्यवस्था के लिए प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न हो और न ही किसी अन्य को ऐसा करने की अनुमति देंगे ।

(5) यदि परिजन द्वारा स्वयं अथवा भीड़ एकत्रित कर रास्ते या सार्वजनिक स्थान पर शव रखकर अवरोध उत्पन्न किया जाता है तो इसे शव का अपमान मानते हुए तदनुसार उनके विरुद्ध निवारक एवं सुसंगत दाण्डिक विधियों के अनुसार कठोर कार्यवाही की जाए । इसी प्रकार यदि कोई संगठन या समूह शव को लेकर लोक व्यवस्था के प्रतिकूल कोई कार्यवाही करता है तो उसके विरूद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

(6) मृतक की अन्त्येष्टि यथासंभव परिजन द्वारा ही की जाए, परन्तु यदि परिजन द्वारा किन्ही कारणों से मृतक का शव लेने या अंत्येष्टि करने से इन्कार करने, विलम्ब या अन्य कारणों से शव के खराब होने अथवा लोकव्यवस्था प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की सम्भावना के कारण प्रशासन द्वारा शव निस्तारण की स्थिति आती है, तो प्रशासनिक अधिकारीगण द्वारा स्वयं व स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों के माध्यम से सर्वप्रथम परिजनों को समझाने का हर सम्भव प्रयास किया जाएगा ।

(7) प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारीगण व स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों के उपरोक्तानुसार समझाने के प्रयासों के बावजूद भी यदि परिजन किसी भी दशा में अंत्येष्टि हेतु तैयार नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में पाँच स्थानीय सम्मानित व्यक्तियों, जिनमें मृतक के समुदाय के भी व्यक्ति सम्मिलित हो, को पंच बनाकर सम्पूर्ण परिस्थितियों का उल्लेख करते हुये पंचनामा संलग्न **प्रारूप-02** के अनुसार तैयार किया जायेगा। उक्त पंचनामा चार सदस्यीय समिति (जिसके अध्यक्ष सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट तथा सदस्य पुलिस क्षेत्राधिकारी सम्बन्धित थानाध्यक्ष व मौके पर उपलब्ध राजस्व विभाग का कोई अधिकारी हो) को उपलब्ध कराया जायेगा । उक्त समिति द्वारा यदि यह पाया जाता है कि अन्त्येष्टि न होने के कारण लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है तो समिति द्वारा जिला मजिस्ट्रेट के अनुमोदन से परिवार की सहमति के बगैर अन्त्येष्टि करने का निर्णय लोक व्यवस्था की संरक्षा तथा सार्वजनिक सम्पत्ति व जान माल की सुरक्षा के लक्ष्य को अन्य समस्त परिस्थितियों पर अधिभाविता प्रदान करते हुए लिया जा सकेगा । शव का अंतिम संस्कार मृतक के धर्म/ पथ / मजहब व परम्परानुसार समस्त रीति रिवाजों व अनुष्ठानों का अनुपालन करते हुये ससम्मान उक्त समिति द्वारा जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार किया जाएगा एवं कृत कार्यवाही का प्रमाण-पत्र समिति द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को उपलब्ध कराया जायेगा ।

(8) अंतिम संस्कार दिन में ही किया जाये, परन्तु यदि उपर्युक्त वर्णित किन्ही अपरिहार्य परिस्थितियों में अत्येष्टि रात्रि में की जानी आवश्यक हो तो यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि मृतक के धर्म, रीति रिवाज या परम्परा में यह अनुमन्य हो अथवा मृतक के परिवार के सदस्य ने रात्रि में अत्येष्टि हेतु अनुमति दी हो । यदि स्थापित धर्म, रीति-

रिवाज अथवा परम्परा से पृथक कोई निर्णय लिया जाना हो तो उपरोक्त समिति इस विषय में ऐसी अनिवार्य एवं अपरिहार्य परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए अपनी आख्या पुलिस कमिश्नर (कमिश्नरी जिले में) / जिला मजिस्ट्रेट से अन्यून अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगी और उक्त सक्षम अधिकारी ऐसी अपरिहार्य परिस्थिति के विषय में अपनी विषयगत व विवेकपूर्ण संतुष्टि अंकित करते हुए निर्णय लेंगे । इस विषय में पुलिस कमिश्नर /जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा । तात्कालिकता के दृष्टिगत उक्त संव्यवहार इलेक्ट्रानिक माध्यम यथा ई-मेल या व्हाट्सएप्प के माध्यम से संचारित किया जा सकेगा । यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि उक्त संचार (communication) न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए अपरिहार्यतः संरक्षित रखा जायेगा, तथा यदि उक्त एक वर्ष की अवधि के दौरान सम्बन्धित प्रकरण में किसी न्यायालय या किसी अन्य फोरम के समक्ष कोई कानूनी कार्यवाही प्रारम्भ हो जाय, तो उक्त संचार (communication) , प्रकरण के न्यायालय / फोरम द्वारा समुचित अंतिम विनिश्चय तक संरक्षित रखा जाएगा ।

(9) उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही के दौरान लोक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, प्रारम्भ से अन्त तक अन्त्येष्टि की कार्यवाही की फोटोग्राफी / वीडियोग्राफी करायी जाए तथा उक्त फोटोग्राफ/ वीडियो क्लिप उक्त समिति के अध्यक्ष के पास तथा एक प्रति पुलिस कमिश्नर/ जिला मजिस्ट्रेट के पास भी सुरक्षित रखी जाए। इसे वीडिंग (नष्ट किये जाने) के सामान्य प्राविधानों से पृथक रखा जाएगा ।

(10) उपरोक्तानुसार अपराध / दुर्घटना के शिकार अदावाकृत व अचिन्हित शवों की अन्त्येष्टि, स्थापित धार्मिक रीति रिवाज व परम्परानुसार किये जाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय आधार पर पंडित / मौलवी / गुरुद्वारा पुजारी आदि की तहसीलवार सूची तैयार की जाएगी और यह सूची राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों जैसे स्थानीय निकाय व ग्राम पंचायत आदि को भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे आवश्यकता पड़ने पर इनकी सहायता से अन्त्येष्टि कार्यक्रम संपन्न किया जा सके । अदावाकृत शवों की दशा में मृतक के वस्त्रों को एकत्र कर उसकी जाँच की जानी चाहिए और लावारिस शवों को स्थापित मानकों के अनुसार सुरक्षित परिस्थितियों में संग्रहीत किया जाना चाहिए । स्थानीय जिला पुलिस प्रशासन ऐसे प्रकरणों में गैर शिनाख्त व अदावाकृत शवों की अन्त्येष्टि हेतु राज्य सरकार द्वारा आवंटित बजट से धन की व्यवस्था कर सकती है ।

(11) यदि किन्ही परिस्थितियों में मृतक (गैर शिनाख्त एवं अदावाकृत शव) के धर्म का विनिश्चय, उ0प्र0 पुलिस रेगुलेशन, 1861 के प्रस्तर- 135 ए के प्रविधानों के तहत व्यापक प्रचार-प्रसार के बावजूद भी नहीं किया जा पा रहा हो तो पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा निर्गत सर्कुलर दिनांक- 08/02/2019 के अनुसार सोशल मीडिया की भी सहायता ली जाए तथा स्थानीय भाषा में प्रकाशित होने वाले तथा व्यापक प्रसार वाले दो प्रतिष्ठित समाचार-पत्रों में इस आशय की सूचना प्रकाशित कराई जाए । यदि उक्त प्रक्रिया के अनुपालन के बाद भी शव के लिए कोई दावा नहीं किया जाता है तो शव का निस्तारण शालीनता एवं गरिमापूर्ण रीति से, जैसा कि पुलिस कमिश्नर/ जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उचित समझा जाये किया जायेगा, प्रकरण पर अपनी कारण सहित विषयगत संतुष्टि अंकित करते हुए शव निस्तारण की रीति का निर्धारण करेंगे तथा ऐसे तथ्य भी अंकित करेंगे, जिनके आधार पर उन्होंने मृतक के धर्म का निर्धारण किया है । ऐसी अंत्येष्टि (दाहसंस्कार / दफन) कार्यक्रम की अनिवार्यतः वीडियोग्राफी कराई जायेगी और इसका रिकार्ड सुरक्षित रखा जाएगा । उक्त परिस्थिति में किया जाने वाला दाह संस्कार उपलब्धतानुसार इलेक्ट्रानिक दाह रीति से किया जाएगा और उसके अवशेष (अस्थि / राख आदि) सुरक्षित रखे जायेंगे ।

(12) यदि किसी परिस्थिति में उ0प्र0 पुलिस रेगुलेशन, 1861 के प्रस्तर- 135 ए, सहपठित सर्कुलर दिनांक 08.02.2019 के प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही (व्यापक प्रचार-प्रसार / सोशल मीडिया / दो समाचार-पत्रों में प्रकाशन आदि) किए जाने के पश्चात भी अपराध का शिकार हुए व्यक्ति (मृतक) की पहचान नहीं हो पा रही है तथा शव के खराब होने (सड़ने / गलने) की सम्भावना हो तो शव का निस्तारण मानवीय तथा गरिमा पूर्ण रीति से ***"दफन "*** रीति से किया जायेगा ताकि किसी भी समय जाँच/ विवेचना में कुछ विशिष्ट महत्वपूर्ण तथ्य / साक्ष्य प्राप्त किये जाने अथवा बाद के चरणों में किसी समय द्वितीय शव परीक्षण कराये जाने की स्थिति में शव कब्र से वापस निकाला जा सके। ऐसे ***"दफन"*** की पूरी प्रक्रिया शालीनता व गरिमापूर्ण रीति से की जायेगी तथा इसकी अनिवार्यतः वीडियोग्राफी करा कर रिकार्ड सुरक्षित रखा जायेगा ।

(13) किसी अपराध का शिकार हुए व्यक्ति (मृतक) के प्रकरण में यदि कभी ऐसी परिस्थितियाँ बनती है कि मृतक के शव से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य / साक्ष्य प्राप्त किये जाने हैं, तो इस उद्देश्य के लिए सम्बन्धित फ़ोरेंसिक टीम को शामिल करते हुए पोस्टमार्टम के समय ही इसके प्रयास किये जायें । यदि फ़ोरेंसिक टीम अनुपलब्ध है अथवा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु आवश्यक संसाधनों से रहित है तो विशेषज्ञ टीम के आने व साक्ष्य प्राप्त करने तक अथवा

अधिकतम 03 दिन तक (जो भी पहले हो) शव को सुरक्षित रखा जाए । मॉर्चरी के कर्मचारियों को मानक का पालन करना चाहिए और शवों को किसी भी तरह के क्षय या क्षति से बचाने के लिए यथावश्यकता डीप फ्रीजर अथवा लगभग **4 डिग्री सेल्सियस** पर स्थिर ठंडे कक्षों में संग्रहित किया जाना चाहिए ।

यदि मृतक के परिवार के सदस्य द्वारा शव के द्वितीय शव परीक्षण की मांग की जाती है तो इसके लिए उनसे संलग्न **प्रारूप-03** पर लिखित अनुरोध प्राप्त कर लिया जायेगा । ऐसी परिस्थिति में शव का निस्तारण *"दफन"* रीति से किया जाएगा अथवा तब तक शवगृह (मॉर्चरी) में सुरक्षित रखा जाएगा, जब तक कि परिवार के सदस्य सम्बन्धित विवेचनाधिकारी अथवा न्यायालय से द्वितीय शव परीक्षण हेतु आवश्यक अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं कर देते हैं ।

(14) शवों की अन्त्येष्टि के विषय में उपर्युक्त मार्ग दर्शक सिद्धांतों/मानक संचालन प्रक्रिया का उक्त के अक्षर और भाव में राज्य के उन सभी लोकसेवकों द्वारा कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा जो उपरोक्त श्रेणी के शवों की अंत्येष्टि क्रिया से संसक्त हैं ।

(15) शवों की अन्त्येष्टि के विषय में उपर्युक्त मार्ग दर्शक सिद्धांतों/मानक संचालन प्रक्रिया का पुलिस थानों, अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला मुख्यालयों, कलेक्ट्रेट, तहसीलों आदि में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा ताकि अधिसूचित होने के बाद संबंधित हितधारक इन मार्ग दर्शक सिद्धांतों/मानक संचालन प्रक्रिया से अवगत हो सकें ।

(16) राज्य सरकार द्वारा शवों की अन्त्येष्टि के विषय में उपर्युक्त मार्ग दर्शक सिद्धांतों/मानक संचालन प्रक्रिया राजकीय गजट में प्रकाशन के माध्यम से अधिसूचित की जायेगी ।

संलग्नक-यथोक्त ।

श्री राज्यपाल के आदेश से,
संजय प्रसाद,
प्रमुख सचिव।

प्रारूप -01

सहमति प्रपत्र

हम परिवारीजन यह सहमति प्रदान करते हैं कि हम शव को पोस्टमार्टम हाऊस से सीधे अपने घर ले जाएंगे तथा स्थापित रीति-रिवाज के अनुसार संस्कार करने के पश्चात् सीधे अन्त्येष्टि स्थल पर ले जाएंगे । बीच रास्ते में कहीं भी शव रखने, भीड़ एकत्रित करने, जाम लगाने, किसी दल या संगठन के सहयोग से धरना प्रदर्शन करने तथा किसी भी प्रकार कानून एवं शान्ति व्यवस्था अथवा लोक व्यवस्था के लिए प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न करने जैसी कार्यवाही नहीं करेंगे और न ही किसी अन्य को ऐसा करने की अनुमति प्रदान करेंगे। यदि किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा सड़क, किसी लोक स्थान या लोकमार्ग पर शव रखकर अवरोध उत्पन्न किया जाता है तो इसे हमारी सहमति से ही किया जाना माना जायेगा । अतः हमें स्व0..... के पार्थिव शरीर को अन्तिम संस्कार हेतु ले जाने की अनुमति प्रदान की जाये ।

परिवारीजन का नाम .....
हस्ताक्षर एवं दिनांक .....
पता.....
.....

प्रारूप -02

पंचनामा प्रपत्र

1– मृतक का नाम.....

2– धर्म.....

3– मृत्यु का दिनांक एवं परिस्थितियां.....

.....

4– मृतक की उम्र (लगभग).....

5– पंच सदस्य / परिजन का नाम एवं पता.....

.....

.....

.....

6– अन्य सुसंगत विवरण-

7– पंचनामा समिति का सुझाव एवं हस्ताक्षर ----------

प्रारूप -03

द्वितीय शव परीक्षण हेतु आवेदन पत्र

सेवा में, दिनांक.....

पुलिस कमिश्नर/ जिला मजिस्ट्रेट,
जनपद.....

महोदय,

निवेदन है कि मेरे परिवार के श्री..... की हत्या / संदिग्ध मृत्यु दिनांक ..... को हो गई है । जिसका शव परीक्षण (पोस्टमार्टम) भी दिनांक..... को किया जा चुका है । हम [इस कारण से.....(यहाँ कारण का विधिवत उल्लेख किया जाए)] मृतक का द्वितीय शव परीक्षण कराना चाहते हैं ।

अतः अनुरोध है कि कृपया मृतक श्री ..... का द्वितीय शव परीक्षण (पोस्टमार्टम) चिकित्सकों की विशेष टीम से कराने हेतु आदेश देने का कष्ट करें ।

प्रार्थी

नाम.....

पिता का नाम.....

पता.....

मृतक से सम्बन्ध.....

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 548 राजपत्र–2022–(852)–599+25=624 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।